

दिनांक

आज्ञा पत्र

१.१०.२१

पत्रावली पेश। वकली अपीलान्त एव अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल ६ बजे तक बार बार दिलाई गई। इस्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं सनको अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

NBL
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (केम्प बुन्दन)

